अमन चौधरी जे. समक्ष

रवि सभरवाल और एक अन्य-याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी (गण) 2022 का सी. आर. एम.-एम. सं. 50106

31 अक्टूबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- स. 482 भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. एस. 406, 420-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विवादित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका, जिसमें याचिकाकर्ताओं के जमानत बांड और प्रतिभूति प्रितिज्ञापत्र बांड रद्द कर दिए गए थे और वकील के गैर-उपस्थित होने के कारण दिनाक 17.10.22 को गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे-प्रस्तुत किया गया कि गैर-उपस्थिति सुनवाई की तारीख वकील द्वारा गलत तरीके से नोट की गई थी. यह माना गया कि सम्मन देना, वारंट आदि जारी करने का उद्देश्य मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी की उपस्थिति को सुरक्षित करना है-7.10.2022 को 12.1.2023 के लिए जारी किए गए वारंट, जबकि वर्तमान याचिका 21.10.2022 पर दायर की गई है, याचिकाकर्ताओं के उपस्थित होने और निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने के लिए प्रामाणिक रूप से दर्शाता है-याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में स्वेच्छापूर्ण या जानबूझकर नहीं होने और समर्पण करने और कार्यवाही में शामिल होने की तत्परता और इच्छा को ध्यान में रखते हुए-याचिकर्ताओं को एक अवसर दिए जाने की स्थिति में पार्टियों पर कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा।

अभिनिर्धारित किया गया कि सम्मन देना, वारंट आदि जारी करने का उद्देश्य मुकदमे का सामना करने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना और कानून का शासन स्थापित करना है ताकि कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा सके।

(पैरा 8)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह आदेश जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट 7.10.2022 पर 12.1.2023 के लिए जारी किए गए हैं, जबकि वर्तमान याचिका 21.10.2022 पर दायर की गई है, जो याचिकाकर्ताओं के उपस्थित होने और निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने की ईमानदारी को दर्शाता है।

(पैरा 9)

आगे कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि यह वकील की गलती के कारण था, याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सके, जिससे विवादित आदेश पारित हो गया, जो अभाव का उचित स्पष्टीकरण प्रतीत होता है।

रवि सभरवाल और ए. एन. ए. आर. बनाम हरियाणा राज्य

1575

(अमन चौधरी, जे.)

हालाँकि, यह उन पर अनिवार्य है कि वे उसी की पराकाष्ठा के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही मे शामिल हो।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में जानबूझकर या स्वेच्छापूर्ण नहीं है और उनकी समर्पण करने और कार्यवाही में शामिल होने की इच्छा और तत्परता, यदि याचिकाकर्ताओं को एक अवसर दिया जाता है, तो किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, बल्कि उनका कार्यवाही में शामिल होना मुकदमे में तेजी लाने में मदद करेगा।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास गर्ग,

अमन चौधरी, जे।

(1) वर्तमान याचिका खंड 482 द.प्र.स. के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबाला द्वारा पारित दिनांक 7.10.2022, संलग्नक पी-2 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसमें प्राथमिकीओं के प्रतिभूति प्रतिज्ञापात्र को रद्द कर दिया गया था और उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं। और प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 245 दिनाक 14.6.2018,धारा 406,420,दंड सहिता के तहत दर्ज किया गया जिला अंबाला।

(2) विद्वान वकील, अन्य बातों के साथ-साथ, तर्क देते हैं कि उनके खिलाफ प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, उन्हें निचली अदालत द्वारा दिनांक 30.10.2018 के आदेश के माध्यम से नियमित जमानत दी गई थी, जिसके बाद, वे नियमित रूप से सुनवाई की तारीख को उपस्थित हो रहे थे, सिवाय दिनाक 17.10.22 को छोड़कर, क्योंकि उनके वकील द्वारा तारीख को गलत तरीके से 17.10.2022 के बजाय 12.10.22 के रूप अन्य बातों के साथ साथ नोट किया गया था, जिससे संलग्नककर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट अदालत के आदेश के अनुसार दिनाक 7.10.22 को जारी किए गए।वह आगे प्रस्तुत करता है कि निचली अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में न तो जानबूझकर थी और न ही इरादे से थी, हालांकि, उपरोक्त कारणों से थी।वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने के लिए तैयार और इच्छुक हैं, जिसके लिए वह केवल एक अवसर देने के लिए प्रार्थना करता है, जो लागत या किसी अन्य शर्त के अधिरोपण के अधीन भी हो सकता है, जिसे यह न्यायालय अधिरोपित करना उचित समझे।अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, वह इस पर निर्भर करता है सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, सी. आर. एम.-एम.-38277-2022, ने 26.8.2022 पर निर्णय लिया, नवीन राव बनाम. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.)**ए. सी. बी., चंडीगढ़, सी. आर. एम.-एम.-29461-2018, ने 18.7.2018 पर निर्णय लिया,**डिंपल कुमार बनाम पंजाब राज्य 2017 (1) आर. सी. आर. (क्र.), 602 और 'सोनू शारदा बनाम पंजाब राज्य' पर निर्णय लिया गया

1.6.2020.

(3) गति की सूचना।

(4) अदालत के कहने पर, श्रीमान तनुज शर्मा, ए. एएजी हरियाणा प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करता है।वह प्रस्तुत करता है कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है, वर्तमान याचिका खारिज होने के योग्य है।

(5) पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ता को काफी देर तक सुना।

(6) पुनः में -नवीन राव का मामला (ऊपर), इस अदालत ने फैसला सुनाया है

इस प्रकारः- "वर्तमान मामले में भी जमानत/जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़ दिया था।व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था।याचिकाकर्ता एनआरआई है और वह अदालत से कोई अनुमति द्वारा बिना विदेश चला गया, जिसे अनजाने में कहा गया है क्योंकि वह जमानत के नियमों और शर्तों से नहीं गुजरा था, लेकिन परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर थीं।याचिकाकर्ता तुरंत भारत वापस आया और उसे पता चला कि उसके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं।उनकी ओर से अनुपस्थित रहने या अदालती कार्यवाही से बचने का कोई इरादा नहीं

था।याचिकाकर्ता जब विदेश में था तब बीमार रहा, 20 दिनों तक वहाँ रहा और तुरंत वापस नहीं आ सका।"

(7) आगे डिंपल कुमार (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय

आयोजित किया गया

"2. याचिकाकर्ता को 11.04.2015 पर उक्त प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार किया गया था।इसके बाद, इस न्यायालय में 2015 की सी. आर. एम.-एम. संख्या 15196 वाली एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट, लुधियाना की संतुष्टि के लिए एक आदेश दिनांक 14.05.2015 द्वारा नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया।इसके बाद, याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष इस तरह से तय की गई तारीख यानी 25.10.2016 पर पेश नहीं हुआ और इस आधार पर छूट मांगी कि वह वायरल बुखार से पीड़ित है।अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने कई मौकों पर इसी तरह की छूट की मांग की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोपी छूट की मांग करने में अभ्यस्त है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया गया था, जिसमें विफल रहने पर उसके खिलाफ गंभीर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।चूँकि याचिकाकर्ता निर्देशानुसार उपस्थित नहीं हुआ दिनांकित 12/26.09.2016 एक आदेश द्वारा और इस आधार पर छूट की मांग करने वाले एक आवेदन को प्राथमिकता दी कि वह वायरल बुखार से पीड़ित है, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि छूट का आधार वास्तविक नहीं लगता है।परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के जमानत बांड रद्द कर दिए गए और यह आदेश दिया गया कि उसे 15.11.2016 के लिए गैर-जमानती वारंट द्वारा से तलब किया जाए।

(अमन चौधरी, जे.)

3. x XX

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता एक वचन देने के लिए तैयार है, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, 25.10.2016 दिनांकित विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने और उक्त वचन प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है।ऐसा करने पर, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।"

(8) सम्मन देना, वारंट आदि जारी करने का उद्देश्य मुकदमे का सामना करने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना और कानून का शासन स्थापित करना है ताकि कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा सके।

(9) आदेश जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट 7.10.2022 पर 12.1.2023 के लिए जारी किए गए हैं, जबकि वर्तमान याचिका 21.10.2022 पर दायर की गई है, जो याचिकाकर्ताओं के उपस्थित होने और निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने की ईमानदारी को दर्शाता है।

(10) वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि यह वकील की गलती के कारण था, याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सके, जिससे विवादित आदेश पारित हो गया, जो अभाव का उचित स्पष्टीकरण प्रतीत होता है।हालाँकि, यह उन पर बाध्यकारी है कि वे उसी की परिणति के लिए, निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही में शामिल हों।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में स्वेच्छापूर्ण या जानबूझकर नहीं है और उनकी समर्पण करने और कार्यवाही में शामिल होने की तत्परता और इच्छा, यदि याचिकाकर्ताओं को एक अवसर दिया जाता है, तो किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, बल्कि उनका कार्यवाही में शामिल होना मुकदमे में तेजी लाने में मदद करेगा।इस प्रकार, न्यायाधीश के उद्देश्यों को

पूरा आदेश और उपरोक्त निर्णयों को तत्काल मामले में लागू आदेश के लिए, वर्तमान की अनुमति दी जानी चाहिए।

(11) उपरोक्त की अगली कड़ी के रूप में, इस याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांकित 7.10.2022, संलग्नक पी-2 का विवादित आदेश अलग रखा गया है, जो पंजाब और हरियाणा उच्च कर्मचारी कल्याण संघ के साथ जमा किए जाने वाले Rs.15,000/- की लागत के भुगतान के अधीन है।याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 10.11.2022 पर या उससे पहले निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करें और अपनी नई जमानत/जमानत बांड प्रस्तुत करें।ऐसा करने पर, निचली अदालत अपनी संतुष्टि के लिए भारी मुचलका लगाकर उन्हें जमानत पर रिहा कर देगी।उन्हें अपने शपथ पत्र के माध्यम से एक वचन पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है कि वे निचली अदालत के समक्ष सुनवाई की तारीख को पेश होंगे, जब तक कि अदालत द्वारा विशेष रूप से छूट न दी जाए।

(12) इस आदेश के साथ भाग लेने से पहले, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त का पालन नहीं करते हैं, तो वर्तमान याचिका को इस न्यायालय के किसी भी संदर्भ के बिना खारिज कर दिया गया माना जाएगा।

दिव्या गुर्नी

रीतू सिंगला

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।